संख्या-86/2022/840/22-2-2021-17(493)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 21 जून, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कैलाश यादव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायन, निवासी जनपद-झॉसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11.02.2021, दिनांक 22.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कैलाश यादव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायन, जो-ग्राम-विरगुवॉ, थाना-बडागांव, जनपद-झॉसी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा 04-05 साल पहले कुएं पर हुए विवाद एवं रंजिश के कारण दिनांक 17.09.2005 को नशे की हालात में गाली-गलौज करने एवं मना करने पर 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक से गोली मारकर संतराम नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-51/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 325/149, 302/149 व धारा-3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), झॉसी के आदेश दिनांक 16.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.03.2019 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2021 तक 13 वर्ष, 04 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 05 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के समयपूर्व रिहा होने पर अपराध करने की पूर्ण संभावना होने पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त् नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा समाज को प्रभावित करने वाला अपराध होने, समयपूर्व रिहा होने पर समाज में गलत संदेश जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, बंदी का स्वास्थ्य संतोषजनक होने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कैलाश यादव (बन्दी संख्या-16728) पुत्र श्री लक्ष्मी नारायन, निवासी जनपद-झॉसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-86/2022/840(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-झाँसी ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।